न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :— शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

वादीगण :— बनाम प्रतिवादीगण :—

1. गिरधारी पुत्र किशनाराम जाट
2. अर्जुनराम पुत्र मगनाराम जाट
   निवासी कलकलां की ढाणी

1. प्रभूराम पुत्र किशनाराम जाट
2. बोदूराम पुत्र किशनाराम जाट
3. रूघाराम पुत्र किशनाराम जाट
4. चुनाराम पुत्र मदनलाल जाट
5. पिंकी पुत्री मदनलाल जाट
6. मोहनी पत्नी मदनलाल जाट
7. सुमन पुत्री मदनलाल जाट
8. मोतीराम पुत्र मगनाराम जाट
   निवासी कलकलां की ढाणी
9. तहसीलदार, परबतसर

दावा बाबत :— खातेदारी घोषणा व बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री राघव शर्मा अधिवक्ता वादीगण
श्री अनिल कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादीगण

मुकदमां नम्बर :— 2021/41 निर्णय दिनांक :— 28.10.2021

निर्णय

1. वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राघव शर्मा ने यह वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम कलकलां की ढाणी के खसरा नम्बर 51 रकबा 7.66 हैक्टयर, खसरा नम्बर 50 रकबा 0.58 हैक्टयर, खसरा नम्बर 0.01 हैक्टयर, 165 रकबा 4.60 हैक्टयर कुल रकबा 4.61 हैक्टयर व खसरा नम्बर 13 रकबा 2.83 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसके वादीगण व प्रतिवादी 1 से 8 रिकार्डेड खातेदार है। इस भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच वर्षो पूर्व से आपसी सहमति से बंटवारा किया हुआ वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य रास्तो की भूमि छोड़ते हुए बंटवारा वर्णित किया गया है के अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में होने तथा प्रतिवादीगण संख्या में अधिक होने के कारण वादीगण को उसके हिस्से में काश्त करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा बिना बंटवारा करवाये वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि को उपजाउ नहीं बना पा रहे है तथा सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ भी वादीगण को प्राप्त नहीं हो रहा है जिससे उक्त भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

वादीगण अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा घोषित कर अलग होल्डीगं कायम करने की इस्तदुआ की है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 02.08.2021 को वादीगण व प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। तत्पश्चात पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प मंगलाना में नियत की गई। जहां वादीगण व प्रतिवादीगण स्वंय एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा वाद में साक्ष्य पेश नहीं कर लोक अदालत की भावना से जरिये राजीनामा वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

3. वादीगण व प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2075–78 के अनुसार ग्राम कलकलां की ढाणी के खसरा नम्बर 13 रकबा 2.83 हैक्टयर भूमि वादी 1, 2 व प्रतिवादी 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी में तथा खसरा नम्बर 51 रकबा 7.66 हैक्टयर, वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में तथा खसरा नम्बर 50 रकबा 0.58 हैक्टयर वादी 1 व प्रतिवादी 4 से 8 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 164, 165 कुल रकबा 4.60 हैक्टयर भूमि वादी संख्या 1 व प्रतिवादी 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार उक्त आराजीयत वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदरी में होने एवं वादीगण व प्रतिवादीगण में भूमि के कब्जे काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं होने तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण का जरिये राजीनामा स्वीकार किया है तथा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प मंगलाना में ग्राम कलकलां की ढाणी के उपस्थित अन्य मौजीज व्यक्तियों से जानकारी करने पर उनके द्वारा वाद में वर्णित अनुसार ही मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त होना बताया है। जिससे वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौके पर भू– अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवरी को भिजवाया जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। भू– अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी ने वादीगण व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया। जिसका अवलोकन वादीगण व प्रतिवादीगण स्वंय एवं उनके अधिवक्ता द्वारा किया जाकर प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार करते हुए मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार खातेदारी घोषणा कर वादीगण व प्रतिवादीगण की अलग – अलग होल्डिंग कायम किये जाने का निवेदन किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार होने तथा जरिये राजीनामा वाद स्वीकार करने से वादीगण का वाद लोक आदलत की भावना से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद जरिये राजीनामा स्वीकार किया जाकर इस प्रकार से डिक्री किया जाता है कि बंटवारा प्रस्ताव में वर्णित अनुसार खसरा नम्बर 51 में से रकबा 1.2750 हैक्टयर पूर्वी तरफ एवं खसरा नम्बर 165 में से 0.8960 हैक्टयर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

दक्षिणी पूर्वी तरफ रास्ता छोड़ कर कुल 2.1710 हैक्टयर भूमि का वादी गिरधारी की खातेदारी में एवं खसरा नम्बर 13 में से रकबा 1.37 हैक्टयर पूर्वी तरफ तथा खसरा नम्बर 50 रकबा 0.8960 हैक्टयर रास्ते को छोड़कर कुल रकबा 1. 9340 हैक्टयर वादी संख्या 2 अर्जुनराम की खातेदारी में घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 13 में से 1.37 हैक्टयर पश्चिमी तरफ व खसरा नम्बर 165 में से 0.8960 हैक्टयर पश्चिमी तरफ कुल रकबा 2.2660 हैक्टयर प्रतिवादी 1 प्रभूराम की खातेदारी में व खसरा नम्बर 165 में से रकबा 1.7790 हैक्टयर उत्तरी पश्चिमी तरफ खसरा नम्बर 51 में से रकबा 0.3925 हैक्टयर दक्षिणी तरफ कुल रकबा 2.1715 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 2 बोदूराम की खातेदारी में घोषित किया जाता है। प्रतिवादी 3 रूघाराम को खसरा नम्बर 165 में से रकबा 0.8960 हैक्टयर उत्तरी पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 51 में से रकबा 1.2750 हैक्टयर कुल रकबा 2.1710 हैक्टयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी 8 मोतीराम को खसरा नम्बर 51 मे रकबा 2.2905 हैक्टयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है इसी प्रकार प्रतिवादी 4 से 7 को खसरा नम्बर 51 में 2.2905 हैक्टयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खसरा नम्बर 165 रकबा 0.1330 हैक्टयर, खसरा नम्बर 164 रकबा 0.01 हैक्टयर में वादी संख्या 1 व प्रतिवादी 1 से 3 का1/4, 1/4 हिस्सा संयुक्त तथा खसरा नम्बर 50 रकबा 0.0160 हैक्टयर में वादी 2 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी 3 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी 4 से 7 प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा खातेदारी में रहेगा। खसरा नम्बर 13 में से रकबा 0.09 हैक्टयर मौके पर रास्ते के उपयोग में वादी संख्या 2 व प्रतिवादी 1 की खातेदारी में रहेगी तथा खसरा नम्बर 51 रकबा 0. 0645 हैक्टयर भूमि रास्ते में रहेगी जिसमें वादी 1, 2 एवं प्रतिवादी 2, 3 प्रत्येक का 1/6 – 1/6 हिस्सा खातेदारी में रहेगा। इसी प्रकार खसरा नम्बर 51 रकबा 0. 0720 हैक्टयर भूमि रास्ते के रूप में रहेगी जिसमें वादी 1,2, व प्रतिवादी 3 प्रत्येक का 1/3 हिस्सा खातेदारी में रहेगा। तदनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज कर अलग अलग होल्डिंग कायम की जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प मंगलाना में मजमें आम सुनाया गया।

28/10/21

(शिवपाल जाट)

उपखण्ड अधिकारी

परबतसर